न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 39/2018 दायरा दिनांक : 09.03.2018

उनवान

उदयलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गोरूलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– अमरा उर्फ अमरलाल पुत्र पन्नालाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान –

2/1– रंगलाल पुत्र अमरा उर्फ अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2/2– माधोलाल पुत्र अमरा उर्फ अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– छीतर लाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– जमना लाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– मोतीलाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– नट्टीबाई बेवा केसरा, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या **40 / 2018** दायरा दिनांक : **09.03.2018**

उनवान

उदयलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ ....
अपीलांट

बनाम

1– गोरूलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– माधोलाल पुत्र अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– रंगलाल पुत्र अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– छीतरलाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5— मोतीलाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— जमना लाल पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7— नट्टीबाई बेवा केसरा, जाति मेघवाल, निवासी बैसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.12.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1093/2016 व 1092/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 14.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 39/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने ग्राम बैसार, तहसील खानपुर के खसरा नम्बर 22, 247, 248, 1027, 1116 कुल 5 किता की 15 बीघा में स्वयं के 1/6 हिस्सा के

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विभाजन हेतु वाद न्यायालय खानपुर में प्रस्तुत किया था जिसमें एक तरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 14.02.2018 को न्यायालय खानपुर ने अपीलांट वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की एक तरफा और मनमाने रूप से विवेचना की है । अपीलांट वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को पढना भी उचित नहीं माना है और उसकी कोई विवेचना भी अपने निर्णय में नहीं की है । शून्य दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया जबकि शून्य दस्तावेज साक्ष्य में वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर और निष्प्रभावी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि शून्य दस्तावेज प्रदर्श 7, 8, 9 के आधार पर कोई इन्तकाल नहीं खोला गया और इन्तकाल खुलवाने का प्रयास भी प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया । अपीलांट वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड में वादी का शेयर बदस्तूर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 40/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने ग्राम बैसार, तहसील खानपुर के खसरा नम्बर 144, 166, 273, 274 कुल 4 किता की 21 बीघा 9 बिस्वा में स्वयं के 1/2 हिस्सा के विभाजन हेतु वाद न्यायालय खानपुर में प्रस्तुत किया था जिसमें एक तरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 14.02.2018 को न्यायालय खानपुर ने अपीलांट वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की एक तरफा और मनमाने रूप से विवेचना की है । अपीलांट वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को पढना भी उचित नहीं माना है और उसकी कोई विवेचना भी अपने निर्णय में नहीं की है । शून्य दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया जबकि शून्य दस्तावेज साक्ष्य में वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर और निष्प्रभावी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि शून्य दस्तावेज प्रदर्श 7, 8, 9 के आधार पर कोई इन्तकाल नहीं खोला गया और इन्तकाल खुलवाने का प्रयास भी प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया । अपीलांट वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड में वादी का शेयर बदस्तूर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 अपास्त की जावे ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट उदयलाल ने धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश कि ग्राम बैसार तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 22, 247, 248, 1027, 1116 कुल 5 किता की 15 बीधा जमीन है । उदयलाल व गौरूलाल दोनों का 1/3 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुए । हमारा नाम 1/6 हिस्सा रिकोर्डेड दर्ज है जिसका बंटवारा करना चाहिए । उदयलाल से मदनलाल ने रिलीजडीड करवा ली । मदनलाल गौरूलाल का लडका है । रिलीज डीड फर्जी करवा ली तो हमने एफ आई आर संख्या 125/2011 दर्ज करवाई । पुलिस ने गिरफ्तार किया एवं धारा

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

567, 566 का मुकदमा दर्ज किया । प्रथम दृष्टया रिलीज डीड फर्जी है इन्होंने रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरकरण भी नहीं खुलवाया, न ही वाद को प्रोटेस्ट करने आये । इन्होंने कोई बचाव नहीं किया । न तो जवाबदावा दिया और न ही वाद का खण्डन किया । सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है । हमारा खाते में से नाम आज तक नहीं हटाया । रिलीज डीड नल एण्ड वोईड है इससे हमारे खातेदारी अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2016(3) डी एन जे (राज.) पेज 1199 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी उदयलाल ने वाद पेश किया । वादी द्वारा प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, प्रदर्श 8, प्रदर्श 9 एक्जीविट कराये गये दस्तावेजात रजिस्टर्ड है, हक त्याग स्वेच्छा से किया है बेचान भी रजिस्टर्ड है । इनका दावा अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया था ये दावा ही साबित नहीं कर पाये तो अपील में क्या रिलीफ लेगे । अतः अपील खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया कि वादी/अपीलांट वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि, प्रश्नगत पंजीकृत रीलिफ डीड एवं विक्रय पत्र आरम्भतः शून्य है एवं वादी के अधिकारों पर बेअसर है । वादी द्वारा उक्त पंजीकृत दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं कराया है । साथ ही प्रश्नगत आराजियात से सम्बन्धित एक फौजदारी प्रकरण भी वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग खानपुर में जैरकार है जिसमें अन्तिम विनिश्चय अभी नहीं हुआ है । अतः केवल इस आधार पर कि उक्त दस्तावेजात के आधार पर इंतकाल नहीं

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

खोला गया है तथा वर्तमान में भी उक्त प्रश्नगत आराजी का खातेदार है । प्रश्नगत आराजी का विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः वादी अपना वाद साबित नहीं कर पाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है जो विधिनुसार है । इसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 39/2018 एवं 40/2018 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा